

उत्तराखण्ड शासन
रोजगार सृजन, कौशल विकास,
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
संख्या:- — /VIII/17-84(श्रम)/2005
देहरादून, दिनांक: 01 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1996) की धारा 18 की उपधारा (3) सपठित उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 251 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस संबंध में जारी पूर्व समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निम्नवत् गठित करते हैं।

- | | |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष | श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार। |
| 2. सचिव | प्रमुख सचिव/सचिव, रोजगार सृजन, कौशल विकास, श्रम एवं सेवायोजन विभाग। |
| 3. सदस्य | (केंद्र सरकार द्वारा नामित) |
| 4. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 03 सदस्य | 1. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त या उनके द्वारा नामित अधिकारी।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय या उनके द्वारा नामित अधिकारी।
3. मुख्य निरीक्षक, भवन और अन्य सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तराखण्ड। |

2. उक्त बोर्ड का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 03 वर्ष के लिए होगा।
3. राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त कल्याण बोर्ड शाश्वत् उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा, बोर्ड की एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे उक्त नाम से वाद लाने तथा उस पर वाद लाये जाने की शक्ति भी निहित होगी।

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या:- 1542 (1)/VIII/17-84(श्रम)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. बोर्ड के समस्त पदाधिकारीगण।
2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मा. श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 150 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।